दूरभाष सं0–0535 2203482

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 15 / इण्डियन आ0का0/P/18   दिनांक– 07-4-18

सेवा में,
जिला मजिस्ट्रेट,
जिला–प्रतापगढ़।

विषय–मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा गाटा सं0–2, ग्राम–करिस्ता, तहसील–पट्टी, जिला प्रतापगढ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–मेमो/जे0ए0/2018 दिनांक 26.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा गाटा सं0–2, ग्राम–करिस्ता, तहसील–पट्टी, जिला प्रतापगढ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए अनापत्ति हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित प्रोजेक्ट मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा गाटा सं0–2, ग्राम–करिस्ता, तहसील–पट्टी, जिला प्रतापगढ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु नियमानुसार (सुरक्षा मानकों की दृष्टि से) सुरक्षित भूमिगत टैंक की स्थापना किए जाने की शर्त के साथ आप द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आख्या अन्य वांछित अनुमतियों को प्रभावित नहीं करेगा। यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के 300 मीटर की परिधि में अन्य कोई पेट्रोल पम्प स्थापित/संचालित नहीं है। पेट्रोल पम्प पर यदि जरनेटर की स्थापना की जाती है तो ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर लगाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त हेतु बोर्ड से पृथक रूप से सहमति प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(यू0एन0 उपाध्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

संजय / SANJAY KUMAR
Limited (MD)
इलाहाबाद मण्डलीय कार्यालय/Allahabad Divisional Office

मुख्यालयः ''पर्यावरण भवन'', टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
www.uppcb.com, E-mail- roraebareli@uppcb.com